ResultBharat.com

BPSC School Teacher TRE-3 Exam Pattern 2024

- <u>चयन प्रक्रिया</u>:— लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आघार पर।
 <u>लिखित परीक्षाः—</u>

 - (i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:--

па	विषय	•	परीक्षा की अवधि		अभ्यक्ति
पत्र	।वषय	प्रश्ना का संख्या	भराका का अवस्र	युल अक	અન્યુા ય તા
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययनं	150 भाग—I-30, भाग—II-120	02.:30 ਬਂਟੇ	150	प्राथमिक विद्यालय (कसा 1 से 5) के लिए > यह पत्र दो भाग में होंगे यथा— भाग—I एवं भाग—II > भाग—I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/ बांग्ला भाषा का व्यवहारिक झान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। > भाग—II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विझान, सामाजिक विझान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। > सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग—II-30, भाग—III-40 एवं भाग—III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 6-8) > यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा— भाग—I, भाग—II एवं भाग—III > भाग—II- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। > भाग—II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। > भाग—III- मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है— गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोटः—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ग 6—8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/ अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अन्यर्थी द्वारा Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

पत्र	विषय	प्रश्नी की	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अम्युक्ति
		संख्या			
3.	माथा	150	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय के
	(अर्डता),	भाग-I-30, व्यास-म्बर्ग-स्थान			अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10)
i [सामान्य अध्ययन	भाग—II-40 एव भाग—III-80			एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
	एवं	1111-III-00			विभाग के अन्तर्गत के लिए (वर्ग 6-10)
	विषय				> यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा— भाग—I, भाग—II एवं भाग—III
i i					>> भाग—!- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी / उर्दू / बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30
					प्रतिज्ञत अनिवार्य हो।
					> भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक
1 1					विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर
					चम्मीदवार हेत् निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
					इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान,
					मास्तीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।
					> भाग-III- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक
					(वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन
					पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी,
					बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित,
					ललितकला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक
					विज्ञान।
					नोट:-(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
					के वर्ग ६ से 10 के लिए विषय पत्र संगीत/कला एवं कुम्यूटर को छोड़कर। संगीत/कला विषय के लिए
					संगीत एवं ललितकला को सम्मिलित कर परीक्षा ली
					जायेगी।
					(ii) शिक्षा विभाग के वर्ग 9~10/ अनुसूचित जाति एवं
				1	अनुसुचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6-10 के
				0	सामाजिक विज्ञान के थथन करने वाले अभ्यर्थी यदि
			A		Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो
			_^		Section-II में भूगोल / अर्थशास्त्र / राजनीति शास्त्र
			35	<i>P</i> *	विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि
			200		अभ्यर्थी द्वारा Section-। में भूगोल विषय का चयन
					करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र / राजनीति शास्त्र
					विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।
					> उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से
					सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्घारित
					न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
4.	भाषा	150	02.30 ਬੰਟੇ	150	शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
	(अर्हता). —	भाग—I-30,			जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक
	सामान्य	भाग-11-40 एव			विद्यालय के अध्यापकों (वर्ग 11-12) के लिए
	अध्ययन एवं	भागIII-80			> यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा— माग—I, भाग—II एवं भाग—III
	्व विषय				> भाग—1- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी / उर्दू / बांग्ला
	1777		1		भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्रतांक कम से कम 30 प्रतिशत अभिवार्य हो।
				1	≽ भाग—II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यिमक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका
				İ	रतर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में
					होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य
					विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।
					>> भाग—ा।।- उच्च माध्यमिक दिद्यालय के अध्यापकों के लिए एक
		İ			विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र
				1	का चुनाव किया जाना है.– हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला,
					मैथिली, मगडी, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित,

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अम्युक्ति
					भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, बिजनेस स्टडीज, एकाउंटेंसी, संगीत एवं उद्यमिता। > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

- भाषा (अर्हता) भाग-I Qualifying होगा।
- सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।

नोटः—बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका—7(v) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

- "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या—2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे" के साथ निम्नलिखित संशोधन "परन्तु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक (निम्नतर पूर्णांक में) अनुशंसा मेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा" को सम्मिलित किया जाता है।
- उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

मेधा सूची:-

- ▶ शिक्षा विमाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण:— लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग—II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग—III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग—I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा—क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग—I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

नोटः—औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

साक्षात्कार:--

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।